शंकरलाल **बनाम** मु. देवी आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 75 सन् 2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/149

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 34 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 13/10 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त पिछले 20 वर्षो से बेरोकटोक, बिना किसी दखलअंदाजी के चला आ रहा है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रार्थी के साथ कई बार लडाई झगडा कर चुके है। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को वादगत भूमि में स्वंय व अन्य किसी व्यक्ति से दखलअंदाजी करवाने व जबरदस्ती कब्जा करने से रोकने के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि को हडप करने की नियत से अपने पिता कुशालाराम की एक फर्जी व कूटरचित तथा शून्य अवैध वसीयत दिनांक 05.02.2017 तहरीर करवाकर इन्तकाल संख्या 819 दिनांक 21.09.2020 विधि विरूद्व अपने नाम दर्ज करवा लिया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल अपील के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	